ललित कुमार शर्मा

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

(2008 की आपराधिक अपील संख्या 818)

6 मई, 2008

(एस. बी. सिन्हा और लोकेश्वर सिंह पांटा, जे.जे.)

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1981; धारा 138: चेक का अनादरण-एक कंपनी प्रत्यर्थी से ऋण लेने हेतु अभियोजित की गई- कंपनी द्वारा जारी ऋण से उन्मोचन हेतु चेक जारी किया गया, जो अपर्याप्त निधि के कारण अनादरित हो गया- कंपनी के दो निदेशकों के विरूद्ध परिवाद दायर हुआ। कंपनी के निदेशक स्वयं की व्यक्तिगत जिम्मेदारी को मानते हुए एक समझौते पर पहुंची और प्रत्यर्थी के पक्ष में एक अन्य चैक निष्पादित किया-चैक दुबारा अपर्याप्त धनराशि के कारण अनादरित हो गया- प्रत्यर्थी ने अन्य परिवाद अपीलार्थी कंपनी के निदेशकों के विरूद्ध खिलाफ और अन्य कंपनी के निदेशकों के विरूद्ध दायर किया। शुद्धता को धारित करते हुए यह बताया गया कि प्रत्यर्थी के साथ समझौता के आधार पर अभियुक्त द्वारा द्वितीय चैक जारी करने मात्र से नया दायित्व उत्पन्न नहीं होता। यहां अभियुक्तगण निदेशक और प्रत्यर्थी के मध्य प्रथम शिकायत में केवल एक ही संव्यवहार माना गया और अभियुक्तों को दण्डित किया गया। इसलिए, दूसरी शिकायत पर विचार करने का सवाल ही नहीं उठता।

अपीलकर्ता, जो एक कंपनी के निदेशक थे, प्रत्यर्थी से कथित तौर पर कुछ

निश्चित राशि का ऋण लेने हेतु अभियोजित हुए। ऋण राशि के भुगतान हेतु एक चेक कंपनी द्वारा प्रत्यर्थी के पक्ष में जारी किया गया था, जो पुनः अपर्याप्त निधि के कारण अनादरित हो गया। प्रत्यर्थी नंबर 2 ने कंपनी के दोनों निदेशकों के विरूद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 व धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के तहत शिकायत दर्ज की। परिवाद के लंबित रहने के दौरान, पक्षकारों ने विवाद सुलझाने का प्रयास किया। आरोपियों में से एक अभियुक्त द्वारा प्रत्यर्थी के पक्ष में पूरी रकम का चेक जारी कर दिया गया, और दूसरा अभियुक्त प्रत्यर्थी के साथ समझौते का दायित्व स्वीकार करने की ओर अग्रसर हुआ, यह उनका व्यक्तिगत प्रश्न है। प्रस्तुत करने पर चैक फिर से लौटाया गया। उत्तरदाता नंबर 1 ने फिर से शिकायत दर्ज कराई, न केवल कंपनी निदेशकों के विरूद्ध, जैसा कि पहली शिकायत में था, बल्कि कंपनी के अन्य दो निदेशकों के खिलाफ भी, तदनुसार सजा सुनाई गई। दूसरी शिकायत में, अपीलकर्ताओं ने मुख्य न्यायिक के समक्ष एक आवेदन दायर किया मजिस्ट्रेट को उन्हें समन करने के आदेश को रद्द करने के लिए। उसी को खारिज कर दिया गया था। एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया गया इसके खिलाफ अपीलकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था अदालत। इसलिए, वर्तमान अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि

जाहिर है, दूसरा चेक समझौते के आधार पर पक्षकार के मध्य निष्पादित हुआ। इसने कोई नया दायित्व नहीं बनता। समझौते के रूप में फलीभूत नहीं हुआ, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ऋण के भुगतान के लिए जारी किया गया था। [पैरा-15) [803-बी]

1.2 दूसरा चेक कंपनी के निदेशक द्वारा एक समझौते पर पहुंचने के उददेश्य से

जारी किया गया था। कथित चेक कंपनी के ऋण या दायित्व के निर्वहन में जारी नहीं किया गया था। परिवादी व कपंनी के दो निदेशकों के मध्य केवल एक ट्रांजेक्शन माना गया है, जिसके लिए वह पहले ही दोषसिद्ध किये जा चुके है। इस प्रकार, दूसरी शिकायत पर विचार करने का सवाल ही नहीं उठता। (पैरा-17) [803-ई-एफ]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील सं. 2018/2008

आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 5/2003 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय व आदेश दिनांकित 19.02.2007 से।

राजीव शर्मा (रामेश्वर प्रसाद गोयल की ओर से) याचिकाकर्ता की ओर से।

बृजभूषण उत्तरदाताओं की ओर से

1. अनुमति दी गई।

2. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 का विवेचन इस अपील में शामिल है, जो उच्च न्यायालय इलाहाबाबद द्वारा पारित आपराधिक रिविजन नं. (5) 2003 में दिनांक 19.02.2007 के एक आदेश व निर्णय से उत्पन्न हुआ है।

3. मैसर्स मेडिलिन इंडिया (पी) लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक पंजीकृत और निगमित कंपनी है। इसके दो निदेशक थे, श्री आशीष नरूला और श्री मनीष अरोड़ा। कंपनी ने 5,00,000/- रुपये का ऋण लिया। दो चेक नंबर 0989637 दिनांकित 30.11.1999, और चैक नंबर 0989638 दिनांकित 10.12.19992 क्रमशः 3,00,000/- रूपये, 2,00,000/-रूपये विजया बैंक, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद में

प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में जारी किये गये थे। जिसे पेश करने पर "अपर्याप्त निधि" टिप्पणी के साथ भुगतान नहीं किया जाकर उन्हें वापस कर दिया गया।

4. इसके बाद प्रतिवादी संख्या 2 (शिकायतकर्ता) द्वारा श्री मनीष अरोड़ा और श्री आशीष नरूला के विरूद्ध अधिनियम की धारा 138 और धारा के तहत 420 भारतीय दंड संहिता के तहत एक परिवाद याचिका दायर की गई थी।

5. अपीलकर्ता स्वयं चैक पर हस्ताक्षर करने वाले नहीं थे। अपीलार्थी नं. 1 15.02.200 को ही उक्त कंपनी का निदेशक बना। अपीलार्थी संख्या 2 1.12.1994 को निदेशक बन गया। इस प्रकार दोनों ने 30.11.2000 को निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था।

6. उक्त परिवाद याचिका के लंबित रहने के दौरान, पक्षकारों के बीच हुए विवादों और मतभेदों का राजीनामा करने का प्रयास किया गया। पक्षकारों द्वारा और उनके बीच एक राजीनामा किया गया था, जिसके अनुसार यह सहमति हुई थी कि यदि 5,02,050/-रुपये की राशि का चेक जारी किया जाता है तो शिकायत याचिका वापस ली जाएगी। मनीष अरोड़ा ने उक्त राशि के लिए 29.07.2000 को एक चेक जारी किया था, जो पेश करने पर 29.01.2001 को "अपर्याप्त निधि" की टिप्पणी के साथ लौटा दिया गया था। यह कहा गया है कि श्री आशीष नरूला और कंपनी के बीच एक समझौता भी किया गया था कि विचाराधीन दायित्व उनका व्यक्तिगत था। उन्होंने उक्त कथित तौर पर एक शपथ पत्र की पुष्टि की और 26.02.2000 पर क्षतिपूर्ति बांड निष्पादित किया।

7. हालाँकि, शिकायतकर्ता-प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 29.07.2000 के उक्त चेक की वापसी के संबंध में न केवल श्री आशीष नरूला और श्री मनीष अरोड़ा के

विरूद्ध, बल्कि अपीलकर्ताओं के विरूद्ध एक और परिवाद दायर किया।

8. उक्त परिवाद में अपीलकर्ताओं को तलब किया गया था। उन्होंने सम्मन करने आदेश को रदद करने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश किया, वह खारिज कर दिया गया। इसके विरूद्ध दायर एक पुनरीक्षण याचिका को भी उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के आधार पर खारिज कर दिया।

9. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव शर्मा ने निवेदन किया कि दूसरी परिवाद याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

10. हालाँकि, प्रत्यर्थी की ओर उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बृजभूषण ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया।

11. अधिनियम की धारा 138 इस प्रकार हैः

> "138- खाते में धन की अपर्याप्तता आदि के लिए चेक का अनादरण जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा किसी बैंकर के साथ रखे गए खाते में उस खाते से किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी राशि के भुगतान के लिए कोई चेक निकाला जाता है। किसी भी ऋण या अन्य दायित्व का पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वहन, बैंक द्वारा या तो उसके खाते में जमा धन राशि अपर्याप्त होने या वह व्यवस्थित राशि से अधिक है, के आधार पर भुगतान किए बिना वापस लौटा दिया जाता है। उस खाते से उस बैंक के साथ किये गये समझौते द्वारा भुगतान किया जायेगा, ऐसे व्यक्ति को दोषी माना जायेगा और इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दो साल, या जुर्माने के साथ

दंडित किया जाएगा। जिसे एक अवधि के लिए कारावास के साथ जिसे बढ़ाया जा सकता है जो कि चैक की राशि से दोगुनी राशि तक बढ़ सकता है, या दोनों से दण्डित किया जायेगा। बशर्ते कि इस धारा में निहित कोई भी बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक

(क) चैक को उसके निकाले जाने की तारीख से छः माह की अवधि या इसकी वैधता की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो; बैंक में प्रस्तुत किया गया है,

(ख) चेकधारक या चैक प्राप्तकर्ता, जैसा भी मामला हो, चैक जारी करने वाले को तीस दिन के भीतर लिखित नोटिस देकर उक्त चैक राशि के भुगतान की मांग करता है तथा चैक को अपर्याप्त निधि मानकर लौटाये जाने के संबंध में बैंक से सूचना प्राप्त होना, और

(ग) ऐसे चैक का भुगतानकर्ता जैसा भी मामला हो, उक्त नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के भीतर चैक के प्राप्तकर्ता या धारक को चैककृत राशि का भुगतान करने में असफल रहता है।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "ऋण या अन्य दायित्व" का अर्थ विधि द्वारा प्रवृतनीय ऋण ऋण या अन्य दायित्व से है।"

12. यह निर्विवाद है कि दिनांक 30.11.1999 और 10.12.1999 के पहले चेक के संबंध में अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। इसके अलावा यह भी निर्विवाद है कि हालांकि आशीष नरूला और मनीष अरोड़ा के बीच और शिकायतकर्ता

के बीच एक्त चेक के लिए 5,02,050/ -रूपये की राशि का जारी किया गया और वह अनादरित हो गया। परिवाद वापस नहीं लिया गया था। एक निर्णय और आदेश 16.01.2006 द्वारा आशीष नरूला और मनीष अरोड़ा को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए दोषी पाया गया उन्हें 20,000 / -रूपये के जुर्माने के साथ एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और ऐसा न करने पर तीन महीने का साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया गया था। उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के तहत आदेश की एक महीने की अवधि के भीतर शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में नौ लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश भी दिया गया था।

13. यह तथ्य कि मनीष अरोड़ा ने पक्षकारों के बीच हुए समझौते के संदर्भ में दूसरा चेक जारी किया, जो कि विवादित नहीं है। परिवाद से ही प्रतीत होता है कि इसमें दिये गये अपेक्षित कथन इस प्रकार थे-

> "5.कि अदालत से जमानत मिलने के बाद आरोपी नंबर 2 से 6 ने संपर्क किया और शिकायतकर्ता से पूरी राशि के लिए नए चेक लेने और परिवाद वापस लेने का अनुरोध किया और चैक के कथित अनादरण के खेद भी महसूस किया।"

14. विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भी अपने आदेश दिनांकित 01.10.2002 में ध्यान दियाः

> " ..... आरोपी व्यक्तियों की ओर से कहा गया है कि समझौते से यह दर्शित हुआ कि संविदा में शामिल पक्ष जिम्मेदार होगा। आरोपी व्यक्तियों की ओर से इस प्रकार की प्रार्थना की गई है कि उपरोक्त सभी तीनों आरोपी व्यक्तियों को इस मामले से बरी कर दिया गया।

रिवादी/शिकायतकर्ता की ओर से उपरोक्त आपत्तियों का विरोध किया गया है और यह कहा गया है कि ये तीनों व्यक्ति पूरे सौदे में पक्षकार थे और उनके दायित्व अन्य आरोपी व्यक्तियों की तरह ही था। शिकायत के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा इस मामले में कुल 6 आरोपियों को पक्षकार बनाया गया है और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत अपने बयान में शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि मनीष अरोड़ा, आशीष नरूला और एल.के. शर्मा और बेला नरूला और एल.के. शर्मा की पत्नी कंपनी के निदेशक थे। पांचों आरोपियों ने रूपये उधार देने की मांग की तथा कुछ समय के लिए शिकायतकर्ता से पांच लाख दो सौ पचास रूपये और उसे जल्द ही लौटाने का वादा किया। सभी पांच व्यक्ति चैक देने और प्राप्त करने के लेनदेन में समान रूप से शामिल रहे।"

15. साक्ष्यिक रूप से, यद्यपि, दूसरा चेक समझौते के अनुसरण में जारी किया गया था, जिससे किसी नये दायित्व का सृजन नहीं होगा। चूंकि समझौता सफल नहीं हुआ, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता इसे ऋण के भुगतान हेतु जारी किया गया था।

16. अधिनियम की धारा 138 इस प्रकार हैः

(i) विधिनुसार लागू होने योग्य ऋण है;

(ii) चेक बैंक के खाते से किसी ऋण या दायितव के पूर्ण या आंशिक भुगतान के लिए जारी किया गया था, जो विधि अनुसार लागू होने योग्य ऋण हो, और

(iii) कि इस प्रकार जारीशुदा चैक अपर्याप्त निधि के कारण वापस कर दिया गया

हो।

17. इस प्रकार, दूसरा चेक एक समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से मनीष अरोड़ा द्वारा जारी किया गया था। उक्त चैक उस कंपनी के ऋण या दायित्व के निर्वहन के लिए जारी नहीं किया गया था, जिसके अपीलकर्ताओं को निदेशक बताया गया था। कंपनी के निदेशकों श्री आशीष नरूला, श्री मनीष अरोड़ा और परिवादी/शिकायतकर्ता के बीच केवल एक ही लेन-देन हुआ था। उन्हें पहले ही सजा मिल चुकी है। इस प्रकार, दूसरी शिकायत पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए हमारी राय में अपील की अनुमति दी जानी चाहिए। तदनुसार निर्देशित हो। प्रतिवादी अपीलार्थियों की लागत वहन करेगा। वकील की 25,000 / -रूपये फीस निर्धारित की गई।

एसकेएस अपील की अनुमति दी गई।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **विजयश्री रावत (आर.जे.एस.),** द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।